10/11/23	पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर / दौरे पर [illegible] कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 16/11/23 को पेश हो।
16/11/23	पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। [illegible] में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 11/12/23 को पेश हो।
11/12/23	पत्रावली पेश। प्रा. पत्र 09 R9 पर उभयपक्ष बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा. पत्र 09R9 दिनांक 22/12/23 को पेश हो। Prinkal
22/12/23	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक प्रा. पत्र अंतर्गत 09 R9 - " दिनांक 27/02/19 को प्रार्थी का वाद बाबत घोषणा एवं PI अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो गया। पत्रावली पूर्व में उपखंड अधिकारी, जोधपुर के कार्यालय में विचाराधीन थी। दिनांक 09/05/17 को पत्रावली सहायक कलक्टर (FT) को ट्रांसफर हुई। इसके संबंध में वादी को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। मार्च 2020 से COVID 19 के चलते वादी नकल प्राप्त नहीं कर सका। दिनांक 23/12/20 को प्रार्थी को वाद खारिज होने की सूचना मिली एवं दिनांक 14/01/21 को प्रा. पत्र पेश कर दिया गया। अतः प्रा. पत्र स्वीकार किया जावे।" प्रार्थी द्वारा धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के तहत देरी कंडोन हेतु प्रा. पत्र भी लगाया गया है।

रा.मु.जो.

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	मुताबिक जवाब अप्रार्थी सं. 1 ता 5 व 02 - " काफी अवसर देने के बाद न्यायालय द्वारा वाद खारिज किया गया है। प्रार्थी अनावश्यक रूप से वाद को डिले करना चाहता था, इसलिए बार-2 अवसर देने पर भी न्यायालय में उप. नहीं हुआ। COVID-19 के दौरान भी राजस्व न्यायालय खुले थे, किंतु प्रार्थी उप. नहीं हुआ। अतः प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।" उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर प्रा. पत्र 09 R9 का निस्तारण निम्न अनुसार किया जाता है- As per 09 R9 - " where a suit is wholy or partly dismissed, plantiff may apply for an order to set dismissal aside, if he satisfies the court that there was sufficient cause for his non-appearance, the court shall make an order setting aside the dismissal & shall appoint a day for proceeding with suit". अतः उपरोक्त के आधार पर एवं COVID-19 दौर के पत्रावली ट्रांसफर के कारण चलते प्रार्थी की अनुपस्थिति के खारिज वाद में dismissal set aside किया जाता है। प्रार्थी का प्रा. पत्र 09 R9 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली मूलवाद के ~~साथ~~ साथ संलग्न हो दिनांक 12/01/24 को पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Priyanka सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (I-1), जोधपुर	